विधान सभा संबंधी कार्य/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

कमांकः प.11(3)विधि/2/2024 जयपुर, दिनांकः 10/01/2024

परिपत्र

विषयः–सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम सत्र दिनांक 20.12.2023 से प्रारम्भ हो चुका है। इसके संबंध में इस विभाग के परिपत्र प. 11(1)विधि/2/2023 दिनांक 20.12.2023 द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों को विधान सभा सत्र में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव उपर्युक्त दस्तावेजों सहित पत्रावली आवश्यक रूप से तत्काल विधि (ग्रुप–2) विभाग को भिजवाये जाने का निवेदन किया गया था।

इसी संदर्भ में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 10.01.2024 को दिये गये निदेश के अनुसरण में पुनः लेख है कि ऐसे विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव हो, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लेवें। मंत्रिमण्डलीय आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर पुरःस्थापन किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मय उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा यथा–आवश्यक वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूपों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रतियां (सॉफ्ट प्रति सहित) संलग्न कर संबंधित विधेयक प्रस्ताव **दिनांक 11.01.2024 तक आवश्यक रूप से** विधि (ग्रुप–2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विधान सभा की आगामी बैठकों में पुरःस्थापित कराये जाने की कार्यवाही समय पर किया जाना सम्भव हो सके। उक्त तिथि के पश्चात भिजवाये गये विधेयक प्रस्तावों को विधान सभा में पुरःस्थापित कराया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

साथ ही विधेयक संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की स्थिति में तत्संबंधी **'शून्य'** सूचना भिजवायी जावे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई–मेल करने हेतु।

प्रमुख शासन सचिव